



KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR


(PERMIT FORM)

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA
KANPUR UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

S. No. :-	405	MAP NO-	20190410214056957
Plot/House	PLOT NO-10 (PART) PRE.NO- 16/14 (PART)	Block/Sector/Type	---
Permit Date	25.05.2019	Scheme	IX
Permit No.	33/BHAWAN/ONLINE/2019-20	Application Date	10.04.2019
Area(Place)	CIVIL LINES		
Land Usage	LAY OUT Revised (Residential)		
Applicant's Name	M/S A.R.A. INDIA. L.L.P. PARTNER SRI ARUN KR. GOEL		
Present Address	R/O-H.NO-51/91, NAYA GANJ, KANPUR NAGAR.		

Sanctioned vide order dated :-15.05.2019 V.C. by authorized officer. Building permission granted as per sanctioned building plan enclosed. Subject to The Conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of Sanction for fresh Map/One year in Case of Renewal.


Authorised Signatory

नगर नियोजक

का० वि० प्रा०

Copy To:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्तः-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गोह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भौतिक का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शे में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जाये।
6. वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण हार्वेस्टिंग, सोलर संयन्त्र की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था रूफटाप क्षेत्रफल के आधार पर अर्हता प्राप्त दक्ष इंजीनियर से डिजाइन कराकर निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
8. निर्माण भूकम्परोधी करना होगा एवं भवन निर्माण में लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
9. पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार स्थल पर वृक्ष लगाने अनिवार्य होंगे एवं उनकी स्वयं देखभाल करनी होगी।
10. उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15-ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी गाईड लाईन-2010 की शर्त के अनुसार विकासकर्ता द्वारा स्थल पर निर्माण सामग्री को पूर्ण रूप से ढक कर व ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक कर रखना होगा। निर्माणी सामग्री सड़क पर ढक कर रखनी होगी। कार्य करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहन का कार्य करना होगा।
12. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर पर्यावरण सम्बन्धी सभी निर्देशों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गाईड लाइन 2010 का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. भविष्य में शुल्कों के सम्बन्ध में कोई यदि वित्तीय देयता होती है तो आवेदक को देय होगी।
14. मानचित्र की स्वीकृति (भू-विन्यास) आवासीय उपयोग हेतु प्रदान की जा रही है। इतर अनुकिया कदापि अनुमन्य नहीं होगी।
15. वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
16. उ०प्र० अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 के प्राविधानों में भाग 4(5) का अनुपालन करना होगा तथा अपार्टमेन्ट एक्ट में प्राविधानित प्रारूपों पर समस्त विवरण अंकित करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
17. अनुमन्य माइक्रोन सीमा से बाहर की पोलीथीन का उपयोग प्रतिबन्धित होगा।
18. स्थल पर कूड़ा निस्तारण हेतु एक नीला तथा एक हरा कूड़ादान रखना होगा।
19. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की समस्त जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।
20. भवन निर्माण में लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
21. मानचित्र पुराना निर्माण तोड़ने के उपरान्त ही मान्य होगा।
22. स्टिल्ट फ्लोर का प्रयोग केवल पार्किंग प्रयोजनार्थ ही अनुमन्य होगा।
23. भूमि के सम्बन्ध में सि०मि० रिट याचिका संख्या-3003/2013 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक-04.09.2014 में पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध रिब्यू/रिकॉल एप्लीकेशन संख्या-315383/2014 रिट याचिका संख्या-3003/2013 में योजित हुई, जिसमें भी आवेदक के पक्ष में दिनांक-28.09.2018 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है। नगर भूमि सीमा रोपण (सीलिंग) विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अनापत्ति पत्र संख्या-306/न०भू०सी०/18-कानपुर दिनांक-31.12.18 एवं शासन के पत्र संख्या-2655/आठ-6-18-137यू०सी०/18 दिनांक-28.12.2018 के क्रम में विशेष अनुज्ञा याचिका सि०मि० रिट याचिका संख्या-3003/2013 में कानपुर बिल्डिंस बनाम उ०प्र० राज्य आदि में पारित आदेश के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में रिब्यू/रिकॉल अप्लीकेशन योजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्कम में क्रय योग्य एफ०ए०आर० अनुमन्य किये जाने की समिति द्वारा की गयी संस्तुति सशर्त होगी। मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन एवं तदानुसार मान्य होगी एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि कोई विपरीत निर्णय पारित होता है तो पक्ष/आवेदक को निर्णय का अनुपालन तदानुसार करना होगा एवं प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी। आवेदक को स्थल पर किये गये निर्माण को स्वयं के हर्जे खर्चे पर हटाना होगा तथा प्राधिकरण के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद नहीं किया जायेगा।
24. यू०पी०ई०सी०बी०सी० कोड-2018 की अपेक्षाओं के अनुसार संयोजित विद्युत अधिभार-100 कि०वा० या उससे अधिक हो अथवा कान्स्ट्रैक्ट डिमाण्ड 120 के०वी०ए० या उससे अधिक हो अथवा भवन का भूखण्ड क्षेत्रफल-1000 वर्ग मी० से अधिक एवं निर्मित क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 वर्ग मी० (तलघर छोड़कर) में भवन की छत पर विद्युत उत्पादन हेतु भवन की पीक विद्युत मांग का 1 प्रतिशत क्षमता अथवा छत क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल जो भी कम हो पर रिन्वूबल एनर्जी जनरेशन जोन/सोलर पावर प्लांट की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा।
25. एकल आवासीय भूखण्डों के पृथक-पृथक भवन मानचित्र स्वीकृत कराने होंगे, जिसमें प्रति भूखण्ड 200.00 वर्ग मी० के भूखण्ड पर 01 इकाई, 200-300 वर्ग मी० पर 02 इकाई, 300-500 वर्गमी० पर 02 इकाई तथा 500-1000 वर्ग मी० पर 05 इकाई अनुमन्य की जायेगी।
26. स्थल पर दक्षिण दिशा की ओर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की विद्यमान 15 फिट चौड़ी सड़क की ओर किसी भी भूखण्ड का निकास नहीं होगा।
27. आवेदक द्वारा दिये गये रापथ पत्र के अनुसार केस्को की शर्तों के अनुरूप विद्युतीकरण का कार्य कराना होगा तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
28. उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन आवेदक द्वारा करने की दशा में प्रदान की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।


ज्योति प्रसाद
Authorised Signatory
नगर नियोजक
क०वि०प्र०